IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार में ग्राम कचहरी: एक समकालीन अवलोकन

प्रो० (डॉ०) रामानुज सिंह
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान
गर्वमेन्ट डिग्री कॉलेज, गन्डरबाल (जम्मू कश्मीर)

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में अधिनियमित बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 90 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान है। इसके प्रमुख सरपंच तथा अन्य पंचों का निर्वाचन पंचायत क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं के मतों द्वारा की जाती है। निर्वाचित पंचों द्वारा बहुमत से एक ग्राम-सरपंच का चुनाव किया जाता है। सरपंच के सहायता के लिए एक विधिक सहायक की नियुक्ति का भी प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 140, 142, 143, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 323, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 358, 374, 403, 406, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506, 510 के अधीन किए गए अपराध के संदर्भ में ग्राम कचहरी द्वारा सुनवाई की जा सकती है।[1]

पंचायती राज की इन संस्थाओं के विभिन्नन अधिकारों तथा दायित्वों से अधिक सक्षम बनाते हुए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को केन्द्रीय अधिनियम तथा अन्य राज्यों के अधिनियमों से अलग करते हुए एक नया आयाम दिया गया जिसमें त्रिस्तरीय इन संस्थाओं के सभी निर्वाचित पदों की आधी संख्या को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। महिला के लिए आरक्षित इन पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अनुपातिक आरक्षण दिया गया है।

इस नये आयाम के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को शासन में भागीदारी तथा निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। इस अवसर को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं ने विगत पंचायत चुनाव में आगे बढ़कर भाग लिया तथा अत्यधिक संख्या में निर्वाचित होकर ग्राम प्रशासन के विभिन्न पदों पर विराजमान हैं। बिहार राज्य में उठाया गया यह कदम एक क्रांतिकारी कदम रहा। इसने वर्षों से दबी अशिक्षित महिलाओं में अपनी उत्थान के लिए एक जागृति पैदा कर दी है।

बिहार राज्य में न्याय पंचायत:

तिहत्तरवें संविधान संशोधन एवं भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में निर्मित पंचायत विधेयक 1993 के मॉडल में न्याय पंचायत का उल्लेख नहीं है। फिर भी, बिहार राज्य विधानमंडल ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत अध्याय टप् में धारा 119 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में कचहरी (न्याय पंचायत) का विस्तृत उल्लेख किया है।

न्याय पंचायत की संरचना:

बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम कचहरी अर्थात् न्याय पंचायत के गठन, धारा 89 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण, धारा 91 के तहत सरपंच एवं उपसरपंच के निर्वाचन एवं आरक्षण, एवं धारा 90 के तहत ग्राम कचहरी की अवधि का विवरण है।[2]

प्रत्येक ग्राम पंचायत न्याय कार्य के निर्वहन के लिए एक ग्राम कचहरी स्थापित करेगी। जिसमें सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच और ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित पंच होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए ग्राम कचहरी के पंचों के निर्वाचन में वही आरक्षण पद्धति लागू होगी, जो ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन में होगी और तदनुसार आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएँगे। पंचायत समिति स्तर पर ग्राम कचहरी के सरपंचों में भी वही आरक्षण पद्धति लागू होगी जो ग्राम पंचायत के मुिSया के पदों के निर्वाचन में होगी और तदनुसार पंचायत समिति के अन्तर्गत आरक्षित ग्राम पंचायतें चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएँगी।

सरपंच एवं पंचों के निर्वाचन के बाद प्रत्येक ग्राम कचहरी अपनी प्रथम बैठक में निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उपसरपंच का चुनाव करेगी, जिसमें सरपंच भी एक मतदाता होगा और बराबर मत प्राप्त होने पर वह निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

प्रत्येक ग्राम कचहरी अपनी प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं, यदि किसी विधि के अधीन पूर्ण अवधि के पहले विघटित नहीं हो। विघटन की स्थिति में विघटन-तिथि के छह मास के भीतर शेष अवधि के लिए ग्राम कचहरी का पुनः निर्वाचन होगा।

न्यायपीठ का गठन:

धारा 98 के तहत फौजदारी अथवा दीवानी सम्बन्धी प्रत्येक मामले की सुनवाई एवं निर्णय के लिए अलग-अलग साधारण न्यायपीठ का गठन होगा जिसमें कई प्रकार के सदस्य होंगे -

(क) सरपंच,

(ख) मामले से सम्बन्धित दोनों पक्षकारों द्वारा नामित पंचों की तालिका में से दो पंच_ और

(ग) विहित रीति से सरपंच द्वारा नामित पंचों की तालिका में से अन्य दो पंच।

इस प्रकार, प्रत्येक न्यायपीठ में सरपंच एवं चार पंच होंगे। मामले की सुनवाई एवं निर्णय के लिए न्यायपीठ में कम से कम तीन पंच अवश्य उपस्थित रहें, जिनमें सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच एवं सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा नामित दो पंच अवश्य शामिल हों।[3] पूर्ण न्यायपीठ में सरपंच सहित सभी पंच शामिल होंगे।

मामले की प्रक्रिया:

किसी प्रकार का मामला सरपंच के पास दायर होगा। सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच मामले से सम्बन्धित दोनों पक्षकारों द्वारा नामित दो पंचों के नाम प्राप्त करेगा और पंचों की तालिका में से अन्य दो पंचों को शामिल कर न्यायपीठ का गठन करेगा। तत्पश्चात् न्यायपीठ ही मामले की सुनवाई करेगी और निर्णय देगी। किन्तु सुनवाई करने के पहले धारा 99 के तहत प्रत्येक न्यायपीठ दोनों पक्षकारों में सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करेगी। सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होने की दशा में ही न्यायपीठ मामले की जाँच एवं सुनवाई करेगी। न्यायपीठ सुनवाई

की प्रक्रिया धारा 102 के तहत स्वेच्छा से ही पालन करेगी। इस मामले में न्यायपीठ स्वतन्त्र है और अपने हृदय की प्रेरणा से ही उत्प्रेरित हो कोई प्रक्रिया निर्धारित करेगी और 'बहुमत से निर्णय करेगी।'[4]

कोई भी न्यायपीठ अभिलेऽ एवं साख्य के आधार पर ही निर्णय देती है, किन्तु ग्राम कचहरी की न्यायपीठ अपने हृदय से स्वीकार करने वाली प्रक्रिया के द्वारा ही निर्णय देती है। यदि अभिलेऽ और गवाह आदि के साक्ष्य से न्यायपीठ सतुष्ट नहीं हो तो हृदय की प्रेरणा के अनुसार बहुमत से निर्णय देगी।

न्यायपीठ मुद्दई एवं मुद्दालेह दोनों पक्षों में सर्वप्रथम मेल कराने का प्रयास करेगी, चूँकि ऐसा करने से दोनों पक्षों के हृदयों की कलुषित भावना, ईर्ष्या एवं द्वेष स्थायी रूप से नष्ट हो जाएँगे और पारस्परिक प्रेम एवं सहिष्णुता की भावना प्रतिपादित होगी। इस तरह, समाज में पारस्परिक प्रेम, सहिष्णुता की पीयूष धारा प्रवाहित होगी। यह दायित्व न्यायपीठ को सौंपा गया है।

ग्राम कचहरी से भिन्न अन्य न्यायपीठ के निर्णय से समाज में ईर्ष्या एवं द्वेष की अभिवृद्धि ही होती है। एक अपराध की प्रक्रिया से दूसरा अपराध जन्म ले लेता है। इस प्रकार, समाज में एक हत्या के बाद प्रतिक्रियास्वरूप दोनों पक्षों के द्वारा कई हत्याएँ हो जाया करती हैं। ग्राम कचहरी से भिन्न अन्य कचहरी समाज की इस दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करने की क्षमता नहीं रऽती है। किन्तु ग्राम कचहरी में दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करने की क्षमता है। ग्राम कचहरी में सस्ता, सच्चा एवं शीघ्र न्याय मिलने की सम्भावना है। ग्राम कचहरी की फौजदारी अधिकारिता:

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को निम्नांकित अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है

(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 140, 142, 143, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294 (अ) 323, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 358, 384, 379, 380, 381, 403, 411, 426, 428, 430, 447, 448, 461, 502, 504, 506, एवं 510 के अधीन किए गए अपराध_

(ख) बंगाल लोक जुआ अधिनियम 1867 के अधीन कृत अपराध_

(ग) पशु परावेश अधिनियम 1871 की धारा 24 एवं 26 के अधीन अपराध _

(घ) इस अधिनियम के अधीन कृत अपराध, और

(घ) अन्य अधिनियम के अधीन अपराध यदि सरकार शत्तिफ़ प्रदान करे।

परन्तु ग्राम कचहरी की न्यायपीठ, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379, 380, 381 या 411 के अधीन चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य दस हजार से अधिक हो अथवा जिसके अभियुत्तफ़ को_

(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय ग्टप्प् के अधीन अपराध में तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि के कारावास के लिए दोष ठहराया गया हो,

(ख) ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा पूर्व में चोरी में जाना किया गया हो और

(ख) प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 109 या 110 के अधीन कार्यवाही में सदव्ॖयवहार करने के लिए करारबद्ध हो तथा ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच एवं सदस्य के विरूद्ध केस दायर हो, तो संज्ञान नहीं लेगी।[5]

न्यायपीठ की दाण्डिक शक्तियाँ:

बिहार पचायत राज अधिनियम 1993 की 104 के तहत न्यायपीठ को दण्ड देने की निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं

(क) आधिकतम तीन माह तक का साधारण कारावास

(ख) अधिकतम एक हजार रूपये तक का जुर्माना और उसके व्यतिक्रम होने पर अधिकतम पंन्द्रह दिनों का साधारण कारावास।

कारावास की सजा पाने वाला व्यथित व्यत्तिफ़ यदि पूर्ण बेंच (पूर्ण न्यायपीठ) में अपील करना चाहे तो उसे यथेष्ठ समय के लिए न्यायपीठ जमानत पर छोड़ सकती है। जमानत अवधि में कारावास की सजा स्थगित समझी जाएगी।[6]

सरपंच की व्यक्तिगत दाण्डिक शक्ति:

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 106 के तहत शान्ति भंग होने की सम्भावना पर सरपंच दोनों पक्षकारों को लिखित आदेश देकर कुछेक कार्य से प्रवरित रहने या कुछेक सम्पत्ति से सम्बन्धित कार्रवाई करने से रोक सकता है और की गई कार्यवाही अनुमंडल दण्डाधिकारी के पास शीघ्र पेश करेगा, जो पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश की संपुष्टि करेगा अथवा उसे रद्द करेगा। सरपंच का आदेश तीस दिनों तक लागू होगा।[7]

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 106 के तहत सरपंच का आदेश धारा 144 की तरह फलवती है जो तीस दिनों तक लागू रहेगा। अतः, अनुमंडल दण्डाधिकारी का कर्त्तव्य है कि सरपंच की सूचना पाते ही कार्रवाई करे अन्यथा हंगामा हो जाने का भय है। शान्ति कायम रखने के लिए सरपंच की यह शक्ति बहुत ही उपयोगी है।

इस अधिनियम की धारा 109 के अधीन साधारण न्यायपीठ के निर्णय के विरूद्ध ग्राम कचहरी की ही पूर्ण न्यायपीठ में अपील दायर की जा सकती है, जिसमें सरपंच सहित सभी पंच शामिल होंगे। पूर्ण न्यायपीठ की गणपूर्ति (कोरम) सात पंचों की उपस्थिति से होगी। पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के विरूद्ध 30 दिनों के अंदर फौजदारी मुकदमें में जिला एवं सत्र न्यायधीश के समक्ष एवं दीवानी नालिश में अवर न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।[8]

धारा 109 की उपधारा 3 के सृजन से ग्राम कचहरी का महत्व धूमिल हो जाता है। अन्य न्यायालय की तरह ग्राम कचहरी निर्णय की अपील ऊपर के न्यायालय में होने से मुकदमा लड़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ही। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं संशोधन अधिनियम 1990 में ग्राम कचहरी की अपील कहीं नहीं होती थी, जिससे मुकदमा लड़ने की प्रवत्ति कम जाती थी। यह भी सही है कि ग्राम कचहरी द्वारा लिए गए संज्ञान के योग्य मुकदमा या नालिश कोई दूसरा न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा और ग्राम कचहरी को ही दायर होने पर लौटा देगा। यह अच्छा है।

न्यायपीठ की दीवानी शक्तियाँ:

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 107 के तहत बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887– प्रांतीय लघुवाद न्यायालय आधनियम 1887 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– संथाल परगना अधिनियम 1885 और अधिनियम के अधीन ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को कुछ वादों का सुनवाई करने एवं निर्णय देने की अधिकारिता होगी –

(क) जब वादं का मूल्य दस हजार से अधिक नहीं हो, तब

(i) संविदा पर देय धन के लिए नालिश या वाद

(ii) चल सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति के मूल्य की वसूली के लिए वाद

(iii) लगान की वसूली के लिए वाद

(iv) चल सम्पत्ति को सदोष ग्रहण करने, उसे क्षति पहुँचाने के चलते प्रतिकार के लिए पशु परावेश से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के लिए वाद।

(ख) बाँट-बँटवारा के सभी मामले सिवाय जहाँ विधि का जटिल प्रश्न या टाइटिल अंतर्ग्रस्त हो।

परन्तु जहाँ ग्राम कचहरी का विचार हो कि किसी विशेष बँटवारा में जटिल विधि का प्रश्न, टाइटिल का मामला सन्निहित हो, तो ग्राम कचहरी ऐसे वाद को सक्षम अधिकारी वाले न्यायालय में हस्तांतरित कर देगा।

परन्तु यदि खंड (क) एवं (ख) के उपर्युत्तफ़ वाद के पक्षकार वाद के मूल्य को ध्यान में रखे बिना आवेदन द्वारा सुनवाई एवं निर्णय के लिए ग्राम कचहरी की न्यायपीठ से अनुरोध करेंगे तो दस हजार से अधिक मूल्य के वादों को भी ग्राम कचहरी की न्यायपीठ में लिया जाएगा। मूल्य के अनुसार न्यायालय की फीस पक्षकार को देना होगा।[9]

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राम कचहरी को सामान्यतः दस हजार रूपये के मूल्य तक की सम्पत्ति से सम्बन्धित दीवानी नालिश लेने की शक्ति है, किन्तु पक्षकार के लिखित अनुरोध पर दस हजार रुपये मूल्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और अधिक मूल्य की सम्पत्ति की सुनवाई की जा सकती है। इस प्रकार दीवानी नालिश में ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को असीम अधिकारिता है।

ग्राम कचहरी द्वारा सुनवाई नहीं करने योग्य वाद:

धारा 108 के तहत ग्राम कचहरी निम्नलिखित वादों की सुनवाई नहीं करेगी -

(क) साझेदारी लेखा के तुलन पर

(ख) निर्वसीयतता के अधीन शेयर या वसीयत के अधीन वसीयत या वसीयत के भाग_

(ग) सरकारी सेवकों के द्वारा या उसके विरूद्ध

(घ) अल्पवयस्क या विकृतचित्त द्वारा या उनके विरूद्ध

(ड़) अचल सम्पत्ति के लगान के निर्धारण, वृद्धि, कम, सुधार या प्रभजन_

(च) अचल सम्पत्ति के बंधक या बंधक के मोचन के लिए सम्पत्ति की बिक्री_

(छ) ग्राम पंचायत, मुखिया, सरपंच, पंच एवं सदस्य के विरूद्ध।[10]

ग्राम कचहरी की न्यायपीठ में वकील का प्रवेश निषेध:

धारा 113 के तहत कोई वकील ग्राम कचहरी की न्यायपीठ में प्रवेश नहीं करेगा। वादी, प्रतिवादी एवं गवाह उपस्थित होकर वाद के सम्बन्ध में बताएँ।[11]

डिक्री, आदेश, अर्थदण्ड एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी:

धारा 116 के तहत यदि ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी वाद में डिक्री निष्पादित करने में असमर्थ हो जाए तो ग्राम कचहरी डिक्री के निष्पादन के लिए मुंसिफ के पास भेज देगी और मुंसिफ डिक्री का निष्पादन उसी प्रकार करेगा मानो वह मुंसिफ के द्वारा ही पारित हो।

इसी प्रकार ग्राम कचहरी यदि जुर्माना वसूल करने में असमर्थ हो जाए तो वह मुख्य या ऊपर अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी के पास निष्पादन के लिए भेजेगी। वह दण्डाधिकारी उसी प्रकार निष्पादन करेगा मानों वह उसी के द्वारा पारित हो।

ग्राम कचहरी यदि किसी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असमर्थ हो जाए तो अभियुत्तफ़ के पता-ठीकाने के बारे में प्रतिवेदन सहित जमानती वारंट दण्डाधिकारी के पास भेजेगी। दण्डाधिकारी वारंट पर प्रतिहस्ताक्षर कर थाना प्रभारी के पास अग्रसारित करेगा। थाना प्रभारी अभियुत्तफ़ को ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत करेगा।[12]

ग्राम कचहरी का निरीक्षण:

धारा 119 के तहत जिला न्यायाधीश या उसके द्वारा अधिकृत अन्य न्यायिक अधिकारी सभी उपयुक्त समय में ग्राम कचहरी की कार्यवाही एवं अभिलेऽ का निरीक्षण कर सकता है।

बिहार राज्य में आजादी के बाद से ही सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षण पदाधिकारियों के पद हैं जिन्हें ग्राम कचहरी का निरीक्षण करने का अधिकार है। किन्तु, इस अधिनियम में यह उल्लेख नहीं है। अतः इसके प्रावधान को भी सन्निविष्ट करने की जरूरत है। परंतू अभी तक बिहार में ग्राम कचहरी की सक्रियता अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पायी है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. विमला सिंह, बिहार में पंचायती राज एवं अच्छा प्रशासन, डॉ० सीताराम सिंह सम्पादितः बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2012, पृ०-26-
2. बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा-88, 89 एवं 91
3. वही, धारा 98
4. वही, धारा 199 एवं 102
5. वही, धारा 103
6. वही, धारा 104
7. वही, धारा 106
8. वही, धारा 109
9. वही, धारा 107
10. वही, धारा 108
11. वही, धारा 113
12. वही, धारा 116